भारत सरकार , रेल मंत्रालय
रेल भर्ती सेल, मध्य रेल

सीपीएम कंवर्सन कार्यालय बिल्डिंग पी डी मेलो रोड , वाड़ीबंदर ,

मुंबई **– 400 010.**

रोजगार सूचना क्रमांक : RRC/CR/S&G/02/2026 दिनांक : 11/07/2026

मध्य रेल में स्काउट्स एवं गाइड्स कोटा के अंतर्गत वर्ष 2026-27 हेतु खुली विज्ञप्ति द्वारा भर्ती

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	**13/07/2026, प्रातः 10.00 बजे**
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एवं समय	**12/08/2026, सायं 18.00 बजे**

1. मध्य रेल द्वारा स्काउट्स एवं गाइड्स कोटा के अंतर्गत वर्ष **2026-27** के लिए लेवल-2 की दो (02) रिक्तियां तथा लेवल-1 की दस (10) रिक्तियां (अर्थात मुंबई, भुसावल, नागपुर, पुणे एवं सोलापुर मंडलों के लिए 02-02 रिक्तियां) भरने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पद सभी समुदायों के अभ्यर्थियों हेतु खुले हैं तथा किसी भी समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

1.1 रेल सेवाओं में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को निम्न में से कोई एक होना चाहिए–

क. भारत का नागरिक, अथवा

ख. नेपाल का नागरिक, अथवा

ग. भूटान का नागरिक, अथवा

घ. ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो तथा भारत में स्थायी रूप से बसने का इच्छुक हो, अथवा

ङ. भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ज़ाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया अथवा वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के उद्देश्य से प्रवासित हुआ हो।

उपरोक्त (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) श्रेणी के अभ्यर्थियों के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र (Eligibility Certificate) जारी किया जाना अनिवार्य होगा।

1.1.1 जिन अभ्यर्थियों हेतु पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है, परंतु चयनित होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात ही नियुक्ति दी जाएगी।

1.1.2 अभ्यर्थी लेवल-2 एवं लेवल-1 दोनों श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते वह अनुक्रमांक 2 में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करता हो। दोनों पदों हेतु पृथक-पृथक आवेदन निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लेवल-2 एवं लेवल-1 के लिए पृथक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

2 <u>पात्रता की शर्तें</u>

2.(क) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :

क्र.सं.	**पद**	**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता**
1	**लेवल-2**	• मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (+2 स्तर) या समकक्ष परीक्षा कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण। (SC/ST/भूतपूर्व सैनिक के लिए 50% अंकों की अनिवार्यता नहीं)। अथवा • मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण एवं अधिनियमित प्रशिक्षुता (Act Apprenticeship) पाठ्यक्रम पूर्ण। अथवा • मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण एवं NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त आईटीआई।
2	**लेवल-1**	• 10वीं उत्तीर्ण अथवा आईटीआई अथवा समकक्ष अथवा NCVT द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र (NAC)।
टिप्पणी :		क्लर्क-कम-टाइपिस्ट पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष के भीतर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण दक्षता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि तक नियुक्ति अस्थायी (प्रोविजनल) रहेगी।

<u>न्यूनतम पात्रता शर्त</u>

2. (ख) स्काउट्स एवं गाइड्स योग्यता (लेवल-1 और लेवल-2 दोनों स्तर हेतु)

I. किसी भी अनुभाग में राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर अथवा हिमालयन वुड बैज (HWB) धारक।

II. वर्ष **<u>2021-22</u>** के पश्चात पिछले पाँच वर्षों से स्काउट्स संगठन का सक्रिय सदस्य। “सक्रियता प्रमाणपत्र” **<u>अनुलग्नक ‘क’</u>** के अनुसार संलग्न किया जाए।

III. राष्ट्रीय स्तर अथवा अखिल भारतीय रेलवे स्तर के दो कार्यक्रमों तथा राज्य स्तर के दो कार्यक्रमों में सहभागिता।

3. <u>आयु सीमा</u>

3.1 न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना **01/01/2027** के आधार पर की जाएगी।

उपर्युक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी

3.2 अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) अभ्यर्थी के लिए: 5 वर्ष

3.3 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) अभ्यर्थी के लिए : 3 वर्ष

3.4 भूतपूर्व सैनिक : रक्षा सेवा अवधि + 3 वर्ष (न्यूनतम 6 माह सेवा के पश्चात)

3.5 दिव्यांगता (PwBD) : खुले प्रवर्ग (UR) हेतु 10 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु 13 वर्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) हेतु 15 वर्ष आयु में छूट प्रदान की जाएगी

3.6 विधवा/तलाकशुदा/न्यायिक रूप से पृथक एवं पुनर्विवाह न करने वाली महिलाओं के लिए आयु सीमा खुले प्रवर्ग (UR) हेतु 35 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु 38 वर्ष और अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) हेतु 40 वर्ष होगी।

3.7 रेलवे संगठन के अर्द्ध-प्रशासनिक कार्यालयों, जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों एवं संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में उतनी अवधि तक की छूट प्रदान की जाएगी, जितनी अवधि की सेवा उन्होंने आंशिक अथवा अंतराल सहित

(broken spells) प्रदान की हो, परंतु यह छूट अधिकतम 05 वर्ष तक सीमित रहेगी। सेवारत लेवल-1 के रेलवे कर्मचारियों, आकस्मिक श्रमिक, (Casual Labour) एवं प्रतिस्थानी (Substitutes), जो लेवल-2 पदों हेतु आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा खुले प्रवर्ग के लिए (UR) 40 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए 45 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 43 वर्ष तक होगी। अभ्यर्थी ने न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा (निरंतर अथवा अंतराल सहित) पूर्ण की हो।

3.8 कोर्स पूर्ण कर चुके अधिनियमित प्रशिक्षु (Course Completed Act Apprentices - CCAA), जो लेवल-1 पदों हेतु आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा खुले प्रवर्ग (UR) के लिए 33 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 36 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए 38 वर्ष होगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पूर्ण की गई प्रशिक्षुता अवधि के बराबर आयु में अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी, जो अधिकतम 03 वर्ष तक सीमित होगी। इसी तरह, जो CCAA लेवल-2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए उम्र की सीमा UR कैंडिडेट्स के लिए 30 वर्ष, OBC कैंडिडेट्स के लिए 33 वर्ष और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 35 वर्ष होगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पूर्ण की गई प्रशिक्षुता अवधि के बराबर आयु में अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी, जो अधिकतम 03 वर्ष तक सीमित होगी।

3.9 अभ्यर्थियों की जन्म तिथि निम्नलिखित तालिका में वर्णित तिथियों के बीच होनी चाहीए।(दोनों तिथियां सम्मिलित)

लेवल-2

आयु श्रेणी	18-30 वर्ष (खुले प्रवर्ग के लिए), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 3 वर्ष		
अधिकतम जन्म तिथि	खुला प्रवर्ग (UR)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST)
	01/01/1997	**01/01/1994**	**01/01/1992**
सभी हेतु न्यूनतम जन्म तिथि	**01/01/2009**		
	पैरा 3.5 से 3.7 में उल्लिखित श्रेणियों हेतु आयु छूट लागू होगी।		

लेवल-1

आयु श्रेणी	18-33 वर्ष (खुले प्रवर्ग के लिए), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 3 वर्ष		
अधिकतम जन्म तिथि	खुला प्रवर्ग (UR)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST)
	01/01/1994	**01/01/1991**	**01/01/1989**
सभी हेतु न्यूनतम जन्म तिथि	**01/01/2009**		
	पैरा 3.5 से 3.7 में उल्लिखित श्रेणियों हेतु आयु छूट लागू होगी।		

4. परीक्षा शुल्क

(i)	सब पैरा (ii) में उल्लिखित अभ्यर्थियों के अलावा सभी के लिए	₹500/-(रूपए पांच सौ) अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाने एवं लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने पर ₹400/-(चार सौ रूपए) की वापसी का प्रावधान (बैंक शुल्क कटौती उपरांत)।

(ii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST)/भूतपूर्व सैनिक/ दिव्यांग /महिला /अल्पसंख्यक*/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग** अभ्यर्थियों के लिए	₹250/-(रूपए दौ सौ पच्चास) अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाने एवं लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने पर शुल्क की वापसी का प्रावधान (बैंक शुल्क कटौती उपरांत)। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता अच्छी तरह जांच कर ले। पात्रता न होने पर भी आवेदन करने पर शुल्क वापसी नहीं की जाएगी।

4.1 शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जाना अनिवार्य होगा।

4.2 आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित करने के उपरांत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के साथ एकीकृत भुगतान गेटवे के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क भुगतान के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4.3 भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी प्रदान कर किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान हेतु बैंक द्वारा अधिरोपित लेन-देन शुल्क (यदि कोई हो) अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

4.4 लेन-देन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट तिथि सहित ई-रसीद (e-receipt) उत्पन्न होगी, जिसे अभ्यर्थी को सुरक्षित रखकर प्रिंट कर लेना चाहिए।

4.5 यदि ऑनलाइन लेन-देन सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होता है, तो कृपया पुनः ऑनलाइन भुगतान करें।

5. <u>शुल्क की छुट</u>

5 (क) परीक्षा शुल्क की छुट/वापसी का दावा करने के लिए, अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय **<u>अनुलग्नक 'ख'</u>** के अनुसार स्व-घोषणा एवं गैरन्यायिक स्टाम्प पत्र पर शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

*अल्पसंख्यक से अभिप्राय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं ज़ोरास्ट्रियन (पारसी) समुदायों से है। दस्तावेज सत्यापन के समय परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को यह प्रमाणित करने हेतु कि वे उपर्युक्त किसी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं, गैर–न्यायिक स्टाम्प पत्र पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा–पत्र' (शपथपत्र) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान उक्त शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

5 (ख) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) : वार्षिक पारिवारिक आय ₹50,000/- से कम।आय प्रमाणपत्र **<u>अनुलग्नक</u>** <u>'ग'</u> के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाणपत्र जारी करने हेतु निम्नलिखित प्राधिकृत अधिकारी अधिकृत हैं:–

(i) जिला मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।

(ii) वर्तमान लोकसभा सदस्य (सांसद) – अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए।

(iii) बीपीएल कार्ड अथवा केंद्र सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी अन्य कोई प्रमाणपत्र, अथवा रेलवे द्वारा जारी 'इज्जत एमएसटी'।

(iv) केंद्रीय मंत्री – देश के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति के लिए अनुशंसा कर सकते हैं।

(v) वर्तमान राज्यसभा सदस्य (सांसद) – उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें संबंधित सांसद सामान्यतः निवास करते हैं।

उपरोक्त प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र **अनुलग्नक 'ग'** के प्रारूप में होना अनिवार्य है, जिसे दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

6 चयन प्रक्रिया (दोनों स्तरों हेतु)

6.1(क) भर्ती लिखित परीक्षा/CBT/TAB मोड के आधार पर होगी, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रमाणपत्र के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार नोटिफिकेशन के जवाब में आवेदन करेंगे और योग्य पाए जाएंगे, उन्हें लिखित परीक्षा/CBT/TAB मोड के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में कम से कम 40% अंक पाने वाले, वैकेंसी की संख्या से 2.5 गुना तक उम्मीदवारों को ही भर्ती के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा।

क.	**लिखित परीक्षा**	**60 अंक**
	लेवल-1 और लेवल-2 दोनों के लिए, लिखित परीक्षा/ सीबीटी/टैब मोड में 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (40 अंक) और स्काउट्स एंड गाइड्स ऑर्गनाइज़ेशन, उसकी गतिविधियों और सामान्य ज्ञान से जुड़ा 1 निबंध-प्रकार का सवाल (20 अंक) शामिल होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नकारात्मक अंकन कि व्यवस्था होगी।	
ख.	**प्रमाणपत्र आधारित अंक**	**40 अंक**
	(i) (राष्ट्रीय कार्यक्रम/राष्ट्रीय जंबोरी (अखिल भारतीय रेलवे के कार्यक्रमों सहित) में सहभागिता/सेवा :	**10 अंक**
	• प्रथम दो प्रमाण पत्र (अर्थात न्यूनतम शैक्षिक पात्रता)	कुछ नहीं
	• एक अतिरिक्त कार्यक्रम	07 अंक
	• दो या अधिक अतिरिक्त कार्यक्रम	**10** अंक
	(ii) राज्य स्तर के कार्यक्रमों/रैलियों में सहभागिता/सेवा	**10 अंक**
	• प्रथम दो प्रमाण पत्र (अर्थात न्यूनतम शैक्षिक पात्रता)	कुछ नहीं
	• एक अतिरिक्त कार्यक्रम	07 अंक
	• दो या अधिक अतिरिक्त कार्यक्रम	**10** अंक
	(iii) (राष्ट्रीय/राज्य/अखिल भारतीय रेल स्तर पर आयोजित विशेषीकृत स्काउट/गाईड पाठ्यक्रम	**10 अंक**

	• एक पाठ्यक्रम	07 अंक
	• दो या अधिक पाठ्यक्रम	10 अंक
	(iv) जिला स्तरीय रैलियों में सहभागिता	**10 अंक**
	• एक प्रमाण पत्र	कुछ नहीं
	• दो प्रमाण पत्र	07 अंक
	• तीन प्रमाण पत्र	10 अंक
	कुल (क) + (ख)	**100**अंक

6.1(क)(i) न्यूनतम पात्रता से संबंधित प्रमाणपत्रों सहित अंक प्रदान किए जाने (40 अंक) हेतु अपेक्षित सभी प्रमाणपत्रों को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। विशेषीकृत स्काउट्स/गाइड कोर्स प्रमाणपत्र को अंक प्रदान करने हेतु तभी स्वीकार किया जाएगा, जब संबंधित अभ्यर्थी ने उक्त विशेषीकृत स्काउट्स/गाइड कोर्स प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व बुनियादी प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण किया हो। **दस्तावेज सत्यापन के समय केवल पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों पर ही विचार किया जाएगा; अन्य कोई प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होगा।**

6.1(क)(ii) यदि कोई अभ्यर्थी हिमालयन वुड बैज प्रमाणपत्र के आधार पर पात्र घोषित किया जाता है, तो उसे बेसिक तथा एडवांस कोर्स के प्रमाणपत्र भी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। **दस्तावेज सत्यापन के समय केवल पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों पर ही विचार किया जाएगा; अन्य कोई प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

6.1(क)(iii) यदि कोई अभ्यर्थी राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाणपत्र के आधार पर पात्र घोषित किया जाता है, तो उसका विशेषीकृत स्काउट्स/गाइड कोर्स प्रमाणपत्र अंक प्रदान करने हेतु तभी स्वीकार किया जाएगा, जब संबंधित अभ्यर्थी ने उक्त विशेषीकृत स्काउट्स/गाइड कोर्स प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व बेसिक प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण किया हो। **अतः जो अभ्यर्थी विशेषीकृत स्काउट/गाइड कोर्स प्रमाणपत्र अपलोड कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक प्रशिक्षण कोर्स का प्रमाणपत्र भी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

6.1(क)(iv) हाल की पासपोर्ट आकार की वर्दीधारी फोटो (कैप/विग/सनग्लास रहित) अपलोड करना अनिवार्य है।

6.1(क)(v) अभ्यर्थी के पास उसी राज्य का राज्य स्तरीय प्रमाणपत्र होना चाहिए, जहाँ वह विधिवत पंजीकृत है। किसी ऐसे राज्य का नहीं जहाँ वे पंजीकृत नहीं हैं।

6.1(क)(vi) सभी प्रमाण पत्रों में यह उल्लेख होना चाहिए कि प्रतिभागी ने किस क्षमता के लिए कार्यक्रमों में भाग लिया था और उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। एक्टिव सर्टिफ़िकेट पर जारी होने की तारीख के साथ-साथ, उस पर हस्ताक्षर करने वाले सभी स्काउट/गाइड अधिकारियों का नाम, रेलवे और स्काउटिंग पद का विवरण भी होना चाहिए।**दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों के अलावा किसी अन्य प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

6.1 (ख) **लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (दोनों स्तरों के लिए)**

स्काउटिंग/गाइडिंग का इतिहास; कानून और प्रतिज्ञा; संगठन - जिला और राज्य स्तर; प्रशिक्षण केंद्र - जिला और राज्य स्तर; पुस्तकों का ज्ञान; भारत में लड़कों के लिए स्काउटिंग/लड़कियों के लिए गाइडिंग; आदर्श वाक्य: बाएँ हाथ मिलाना; सलामी; प्रार्थना; ध्वज गीत; राष्ट्रगान; राष्ट्रीय और स्काउटिंग ध्वजों का ज्ञान; विभिन्न अवसरों पर सामाजिक सेवाएँ; हाइकिंग; प्रवीणता बैज, ये कैसे अर्जित किए जाते हैं? स्काउटिंग/गाइडिंग के चरण: चिंतन दिवस; स्काउट्स/गाइड्स/रोवर्स/रेंजर्स का प्रगतिशील प्रशिक्षण; अग्रणी कार्य; हस्तशिल्प; भारतीय रेलवे जंबोरेट; राष्ट्रीय जंबोरी; हवाई जंबोरी।

राष्ट्रीय स्तर पर संगठन; राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, WAGGGS/WOSM - उपराष्ट्रपति पुरस्कार प्रतियोगिता; प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता; सामुदायिक विकास कार्यक्रम; स्काउटिंग के उद्देश्य और तरीके; बेहतर नागरिक और सामान्य ज्ञान तैयार करने में स्काउटिंग कैसे उपयोगी है ।

6.2 **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड** और दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि, समय और स्थान आरआरसी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और पात्र उम्मीदवारों को इसकी सूचना समय रहते दे दी जाएगी। लिखित परीक्षा/दस्तावेज़ सत्यापन को स्थगित करने का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6.3 **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड** का प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार का होगा, जिसमें 40 अंक के प्रश्न और 20 अंक का एक निबंध प्रश्न होगा। प्रश्न पत्र स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन और उसकी गतिविधियों तथा सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा।

6.4 **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड** अवधि की 60 मिनट की होगी।

6.5 आरआरसी अपने विवेकानुसार, यदि आवश्यक समझे तो, सभी उम्मीदवारों के लिए या आरआरसी द्वारा उचित समझे जाने वाले सीमित संख्या में उम्मीदवारों के लिए **लिखित परीक्षा/सीबीटी/टैब मोड** आयोजित कर सकता है।

6.6 उम्मीदवारों को वेबसाइट/ई-कॉल लेटर पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उनका पूर्णतया पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

6.7 कोई साक्षात्कार नहीं होगा।

7. ऑनलाइन आवेदन

7.1 उम्मीदवारों को वेबसाइट www.rrccr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

7.2 उम्मीदवारों को आरआरसी/सीआर वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। www.rrccr.com स्काउट्स और गाइड्स कोटा के अंतर्गत भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने और व्यक्तिगत विवरण/बायो-डेटा आदि को ध्यानपूर्वक भरने के लिए।

नोट-1 उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। पंजीकरण के समय, उम्मीदवारों को 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर भरना होगा। जिन उम्मीदवारों के पास आधार नंबर नहीं है और जिन्होंने आधार के लिए पंजीकरण कराया है लेकिन उन्हें आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, वे आधार पंजीकरण पर्ची पर मुद्रित 28 अंकों की आधार पंजीकरण आईडी प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर, मेघालय और असम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों पर लागू होता है। इन राज्यों के आवेदक ऑनलाइन

आवेदन करते समय अपना मतदाता पहचान पत्र, वैध पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या कोई अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल आधार कार्ड या ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।

नोट-2 उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज जानकारी से बिल्कुल मेल खाते हों। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। यदि उम्मीदवार ने अपना नाम बदल लिया है, तो दस्तावेज़ सत्यापन के समय राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य लागू कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में अपना बदला हुआ नाम अंकित करना होगा। हालांकि, अन्य विवरण एचएससी/एसएससी या समकक्ष प्रमाण पत्र से मेल खाने चाहिए। नाम परिवर्तन की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए।

नोट-3 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना वर्तमान सक्रिय मोबाइल नंबर और वैध ईमेल आईडी अवश्य दर्ज करें और भर्ती प्रक्रिया के दौरान इन्हें सक्रिय रखें, क्योंकि आरआरसी के सभी महत्वपूर्ण संदेश ईमेल/एसएमएस द्वारा भेजे जाएंगे, जिन्हें उम्मीदवारों द्वारा पढ़ा और समझा हुआ माना जाएगा।

7.3 आवेदक को अपनी पात्रता के अनुसार अधिसूचना के विरुद्ध प्रत्येक श्रेणी (अर्थात स्तर 2 और स्तर 1) के लिए अलग-अलग केवल एक ही आवेदन जमा करना होगा। यदि आवेदक एक ही श्रेणी (अर्थात स्तर 2 और स्तर 1) में अलग-अलग विवरण जैसे नाम/पिता का नाम/समुदाय/फोटो (चेहरे का)/शैक्षिक और/या तकनीकी योग्यता आदि या अलग-अलग ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर के साथ एक से अधिक आवेदन जमा करता है, तो उसे सूचित किया जाता है कि ऐसे सभी आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

7.4 ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान, प्रत्येक आवेदक को एक पंजीकरण आईडी जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के

चरणों/आरआरसी के साथ पत्राचार के लिए अपनी पंजीकरण आईडी को सुरक्षित रखें/नोट कर लें।

नोट-1 अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें ताकि अंतिम कुछ दिनों में इंटरनेट पर भारी भार या वेबसाइट जाम होने के कारण आरआरसी की वेबसाइट पर लॉग इन करने में असमर्थता/विफलता से बचा जा सके।

नोट-2 उपर्युक्त कारणों या किसी अन्य कारण से उम्मीदवारों द्वारा अंतिम तिथि तक अपना आवेदन जमा न कर पाने की स्थिति में आरआरसी कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

7.5 उम्मीदवारों को आवेदन के प्रिंटआउट, प्रमाण पत्र या उनकी प्रतियां डाक द्वारा आरआरसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों की उम्मीदवारी केवल ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही मानी जाएगी, जिसका सत्यापन बाद में किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी और प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर उम्मीदवार को किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

7.6 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन की प्रिंटआउट कॉपी ले लें, जिसे दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8. स्कैन किया फोटोग्राफ/ फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी

उम्मीदवारों को अपना पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो (आकार 3.5 सेमी x 3.5 सेमी) अपलोड करना होगा, जो आवेदन की तिथि से तीन महीने से अधिक पुराना न हो। फोटो रंगीन, जेपीजी/जेपीजी प्रारूप में, 100 डीपीआई में होना चाहिए और फाइल का आकार 20 केबी से 70 केबी के बीच होना चाहिए। फोटो में उम्मीदवार का चेहरा **टोपी, विग और/या धूप का चश्मा लगे बिना** स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आरआरसी किसी भी स्तर पर पुराने/अस्पष्ट फोटो अपलोड करने या आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटो और उम्मीदवार के वास्तविक शारीरिक रूप में महत्वपूर्ण अंतर होने पर आवेदन अस्वीकार कर सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लिखित परीक्षा और

दस्तावेज़ सत्यापन के समय लाने के लिए उसी फोटो की दो अतिरिक्त प्रतियां अपने पास तैयार रखें।

9. <u>स्कैन किए गए हस्ताक्षर की प्रति/हस्ताक्षर की सॉफ्ट कॉपी</u>

उम्मीदवारों को अपने हस्ताक्षर (आकार 3.5 सेमी x 2.5 सेमी) जेपीजी/जेपीजी प्रारूप में, 100 डीपीआई पर अपलोड करने होंगे। फ़ाइल का आकार 20 केबी और 30 केबी के बीच होना चाहिए। स्कैन किए गए हस्ताक्षर अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए और निरंतर लिखावट में होने चाहिए, ब्लॉक/कैपिटल या असंबद्ध अक्षरों में नहीं।

10. <u>अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ (स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकने योग्य)</u>

उम्मीदवारों को निम्नलिखित सुपाठ्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

10.1 प्रेसिडेंट स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर या हिमालयन वुड बैज (एचडब्ल्यूबी) धारक की स्कैन की गई प्रति, जैसा भी मामला हो, और पैरा 6.1(क) (i) से 6.1 (क) (iii) में उल्लिखित सभी दस्तावेज।

10.2 अधिसूचना के पैरा 2**(क)** में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका/प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रति।

10.3 अधिसूचना के पैरा 2**(ख)** में उल्लिखित स्काउट्स और गाइड्स में योग्यता प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति।

10.4 जन्म तिथि के प्रमाण पत्र (कक्षा 10वीं या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र या अंकतालिका जिसमें जन्म तिथि अंकित हो या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो) ।

10.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के उम्मीदवारों के लिए, जहां लागू हो, जाति प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति।

11. <u>लिखित परीक्षा के लिए हॉल टिकट (ई-बुलावा पत्र)</u>

11.1 उम्मीदवारों की पात्रता स्थिति आरआरसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार आरआरसी की वेबसाइट से अपनी पात्रता सत्यापित कर सकते हैं। सभी पात्र

उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अंत तक अपना मोबाइल नंबर और ईमेल सक्रिय रखना होगा। आरआरसी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ईमेल पते में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

11.2 पात्र उम्मीदवारों के लिए ई-बुलावा पत्र (जहां लागू हो, लेखक के लिए ई-बुलावा पत्र सहित) लिखित परीक्षा शुरू होने से लगभग दो सप्ताह पहले आरआरसी की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। उम्मीदवारों को डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) का लाभ उठाने के लिए अपना उचित समुदाय प्रमाण पत्र अपलोड किया है, लिखित परीक्षा के लिए ई-बुलावा पत्र में निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण शामिल होगा और ऐसे उम्मीदवारों को ई-बुलावा पत्र और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति जमा करने पर टिकट बुक करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान, इन उम्मीदवारों को मूल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र और यात्रा के लिए निर्धारित पहचान पत्र की एक मूल प्रति साथ रखनी होगी, अन्यथा उन्हें बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।

11.3 उम्मीदवारों को अपने ई-बुलावा पत्र के साथ-साथ वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय का फोटो पहचान पत्र आदि) मूल रूप में परीक्षा हॉल में लाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.4 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एक पासपोर्ट रंगीन फोटो (3.5 सेमी x 3.5 सेमी आकार की) भी लानी होगी, फोटो में उम्मीदवार का चेहरा **टोपी, विग और/या धूप का चश्मा लगे बिना** स्पष्ट दिखाई देना चाहिए (पैरा 8 देखें) । फ़ोटो वही होनी चाहिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म में अपलोड की गई थी।

11.5 आरआरसी अनंतिम रूप से पात्र उम्मीदवार (ओं) को आवंटित परीक्षा केंद्र, तिथि और सत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

11.6 लिखित परीक्षा के लिए आते समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाना सुनिश्चित करना चाहिए:

i) ई-बुलावा पत्र

ii) पैराग्राफ 7.2 के नोट-I में उल्लिखित आधार कार्ड या फोटो पहचान पत्र

iii) एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ

iv) जहां लागू हो, एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाण पत्र

12. <u>सहायता केंद्र</u>

ऑनलाइन आवेदन करने, उसे जमा करने या प्रिंट करने में किसी भी तरह की समस्या होने पर, उम्मीदवार कामकाजी दिनों (सोमवार से शनिवार) सुबह 10:00 बजे से शाम 18:00 बजे के बीच **scoutsnguides@rrccr.com** पर ईमेल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।

13. <u>महत्वपूर्ण निर्देश</u>

13.1 आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए: - उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पद के लिए उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर किया जाएगा। यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या उसके बाद यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत है या उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छुपाई है या उम्मीदवार किसी अन्य कारण से पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

13.2 दस्तावेज़ सत्यापन के दिन जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और स्काउट एवं गाइड्स आदि के मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंग्रेज़ी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में लिखे प्रमाण पत्रों के साथ अंग्रेज़ी/हिंदी में सत्यापित अनुवाद संलग्न होना चाहिए। सभी दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी स्व-सत्यापित होनी चाहिए। लिखित परीक्षा/दस्तावेज़ सत्यापन में शामिल होने के लिए कोई भी टीए/डीए/आवास नहीं दिया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन

के दौरान उन्हें 2-3 दिन रुकना पड़ सकता है, जिसके लिए उन्हें स्वयं व्यवस्था करनी होगी। रेलवे प्रशासन के पास दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि/स्थान निर्धारित करने, उसे स्थगित करने या अप्रत्याशित कारणों से रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है, जिसके विरुद्ध कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13.3 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन आदि के लिए कम समय में ही उपस्थित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को मध्य रेलवे में कहीं भी तैनात किया जाएगा।

13.4 सामान्यतः, रेल कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान उसी रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में कार्यरत रहेगा जहाँ उसकी पहली नियुक्ति हुई है और उसे किसी अन्य रेलवे या प्रतिष्ठान में स्थानांतरण का कोई अधिकार नहीं होगा। यद्यपि, सेवा संबंधी आपात स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी रेल कर्मचारी को भारत के भीतर या बाहर स्थित किसी भी अन्य विभाग, प्रभाग/इकाई, रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान, जिसमें कोई परियोजना भी शामिल है, में स्थानांतरित कर सकता है।

13.5 चयनित उम्मीदवारों को उन सभी स्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जहां पद के लिए प्रशिक्षण निर्धारित है।

13.6 प्रारंभिक नियुक्ति पर वेतनमान, वेतन स्तर का न्यूनतम वेतन होगा, जिसके साथ-साथ उस समय लागू अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, केवल नियमानुसार वेतन ही दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उम्मीदवारों को सुरक्षा जमा राशि देनी पड़ेगी और क्षतिपूर्ति बांड पर हस्ताक्षर करने पड़ सकते हैं।

13.7 चयनित पुरुष उम्मीदवार, जिनकी अंततः नियुक्ति होती है, प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर इकाई में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी होते हैं।

13.8 इस अधिसूचना में दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और रेलवे प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर बाद में यह घट सकती है या शून्य भी हो सकती है। रेलवे प्रशासन अपने विवेक से अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा।

अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने की स्थिति में, उम्मीदवारों द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क वापस नहीं की जाएगी।

13.9 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित की जाने वाली आवश्यक चिकित्सा फिटनेस परीक्षा उत्तीर्ण करने, शैक्षिक और सामुदायिक प्रमाण पत्रों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है।

13.10 वे उम्मीदवार जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी संगठनों की सेवा में हैं और उपरोक्त के लिए पात्र हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से इसके लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।

13.11 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में उम्मीदवारों का प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम होगा और यह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर ही निर्भर करेगा। उम्मीदवारों को बुलावा पत्र/ई-प्रवेश कार्ड जारी करने मात्र से यह नहीं माना जाएगा कि आरआरसी द्वारा उनकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है।

13.12 स्काउट्स और गाइड्स कोटा के तहत भर्ती किए गए उम्मीदवारों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, यदि भर्ती के लिए उनके द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत/फर्जी पाए जाते हैं।

13.13 पात्रता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति आदि से संबंधित सभी मामलों में चयन समिति/प्रशासन का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.14 आरआरबी/आरआरसी की किसी भी परीक्षा से आजीवन प्रतिबंधित किए गए उम्मीदवार या ऐसे उम्मीदवार जो किसी विशिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित किए गए हैं और जिनकी अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, इस अधिसूचना के जवाब में आवेदन न करें। उनकी उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में, जैसे ही इसका पता चलेगा, रद्द कर दी जाएगी।

13.15 उम्मीदवार के स्कैन किए गए हस्ताक्षर, चाहे अंग्रेजी में हों या हिंदी में, निरंतर लिखावट में होने चाहिए, ब्लॉक/कैपिटल अक्षरों में या असंबद्ध अक्षरों में नहीं।

लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन आदि के समय अलग शैली या भाषा में हस्ताक्षर पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

13.16 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा के लिए निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र (जैसा कि निर्धारित है) अपलोड करना होगा। **अनुलग्नक - 'घ'** सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र। आरक्षण प्राप्त करने और यात्रा करने के समय, आरक्षण क्लर्क और/या टिकट चेकिंग स्टाफ उम्मीदवार की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए मूल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र मांगेगा।

13.17 सेवारत रक्षा कर्मी जो समापन तिथि यानी **12/08/2026** के एक वर्ष के भीतर मुक्त होने की संभावना रखते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

13.18 आरआरसी केवल सफल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करता है। नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रबंधन प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, मध्य रेल द्वारा किया जाता है।

14. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर प्रतिबंध

14.1 परीक्षा स्थल के अंदर मोबाइल फोन, पेजर, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ उपकरण या कोई अन्य संचार उपकरण ले जाना प्रतिबंधित है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक/न्यायिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं में भाग लेने पर प्रतिबंध भी शामिल है।

14.2 उम्मीदवारों को अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर सहित किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को परीक्षा स्थल पर न लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

15. अमान्य आवेदन / अस्वीकृत आवेदन

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें; अन्यथा उनके आवेदन निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से अस्वीकृत हो सकते हैं:

15.1 स्कैन किए गए हस्ताक्षर के बिना आवेदन/ब्लॉक/कैपिटल या असंबद्ध अक्षरों में स्कैन किए गए हस्ताक्षर।

15.2 बिना स्कैन की हुई तस्वीर के आवेदन।

15.3 स्कैन की गई विकृत/छोटे आकार की/अपरिचित तस्वीर के साथ आवेदन या टोपी/चश्मा पहने हुए हों।

15.4 आवेदन जमा करने की तिथि पर पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक और स्काउट/गाइड योग्यता का न होना।

15.5 अधिक आयु या कम आयु, जन्मतिथि न भरी होना या गलत भरी होना।

15.6 प्रतिबंधित उम्मीदवारों की सूची में उम्मीदवार का नाम शामिल है।

15.7 एक ही पद के लिए अलग-अलग विवरण वाले कई आवेदन।

15.8 रु. 500 या रु. 250 के परीक्षा शुल्क के बिना के आवेदन, जहा कहीं लागू हो या शुल्क कम हो।

15.9 अनियमित पाये गए कोई अन्य फॉर्म ।

16 <u>सामान्य शर्तें</u> :

16.1 किसी भी प्रकार के प्रचार करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य माना जाएगा ।

16.2 अभ्यर्थी को उचित प्राधिकारी द्वारा उचित प्रोफार्मे में जाती प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जो केंद्र सरकार द्वारा जारी तय मानक के अनुसार होगा तथा स्त्यापन के समय अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । यदि प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए तो अभ्यर्थी को अयोग्य माना जाएगा । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों के सत्यापन पर ब्रोशर (भारत सरकार, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित) के अध्याय 13 के अनुसार इस विषय पीआर कड़ाई आवश्यक है।

16.3 एससी/एसटी/ओबीसी के मामले में सक्षम अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति । ओबीसी अभ्यर्थी को दस्तावेज़ सत्यापन के समय **01/04/2026** को या उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में ओबीसी नॉन-क्रीमी-लेयर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट में जाति, जारी करने की तारीख वगैरह होनी चाहिए और जारी करने

वाले प्राधिकारी की मुहर होनी चाहिए। एससी/एसटी के लिए जाति सर्टिफिकेट का फॉर्मेट **<u>अनुलग्नक - 'घ'</u>** और ओबीसी के लिए **<u>अनुलग्नक - 'ङ'</u>** के अनुसार

(एससी/एसटी/ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आरआरसी वेबसाइट: **<u>www.rrccr.com</u>** पर भी उपलब्ध है)

17. <u>नकली पहचान/तथ्यों को छुपने के लिए चेतावनी</u>

17.1 किसी भी उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी दूसरे व्यक्ति की जगह परीक्षा देने (impersonation) या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने वाले उम्मीदवारों को जीवन भर के लिए RRC की सभी परीक्षाओं में बैठने और रेलवे में किसी भी नियुक्ति से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा, उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

17.2 कोई भी अभ्यर्थी जो परीक्षा में गलत तरीकों अपनाएगा या अपनी जगह किसी और को परीक्षा में भेजेगा, उसे आरआरबी/आरआरसी की सभी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए जीवनभर के लिए वंचित कर दिया जाएगा । उसे रेलवे में नियुक्ति लेने के लिए वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों पर केस भी हो सकता है ।

17.3 आरआरसी को कोई भी गलत जानकारी देने या किसी भी चरण पर जानबूझकर कोई भी जानकारी छुपाने पर कैंडिडेट को अयोग्य करार दिया जाएगा और रेलवे में नियुक्ति हेतु किसी भी सिलेक्शन या परीक्षा में बैठने में रोक लगा दी जाएगी तथा यदि उसे नियुक्त किया जाता है तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी ।

17.4 अगर कोई अभ्यर्थी योग्यता पाने और/या परीक्षा में बैठने के लिए मुफ्त यात्रा का अधिकार पाने के लिए कोई भी जानकारी छिपाता है या नकली सर्टिफिकेट/कास्ट सर्टिफिकेट जमा करता है, तो उस नियुक्ति के लिए उसका नामांकान रद्द कर दिया जाएगा जिसके लिए उसने आवेदन किया है। इसके अलावा, उसे देश भर में सभी आरआरसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं से 2 साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

17.5 एक उम्मीदवार को सभी आरआरसी की परीक्षाओं से एक निर्दिष्ट अवधि / जीवनकाल के लिए वंचित कर दिया जाएगा यदि (i) उम्मीदवार अलग-अलग समुदाय के साथ कई आवेदन जमा करता है, (ii) उम्मीदवार अलग-अलग फोटो (चेहरे) के साथ कई आवेदन जमा करता है और (iii) उम्मीदवार विभिन्न दस्तावेजों के साथ कई आवेदन जमा करता ।

18. अन्य मामले

18.1 मौजूदा नियमों के अनुसार जारी अधिसूचना की नियम एवं शर्तों में बाद में कोई भी बदलाव मान्य होगा। आरआरसी के पास इस अधिसूचना के तहत भर्ती के नियमों तथा शर्तों में ज़रूरत और लागू होने , बाद में बदलाव होने /मॉडिफिकेशन/एडिशन शामिल करने का अधिकार है ।

18.2 अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसे अपने डाउनलोड किए गए एप्लीकेशन के साथ सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दर्शाने हैं। भर्ती के आगे के चरण में किसी भी दस्तावेज़ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और आरआरसी/ सीआर के पास भर्ती के किसी भी चरण पर योग्यता की शर्तें पूरी न करने वाले किसी भी प्रथना पत्र को रद्द करने का अधिकार है ।

18.3 रेल प्रशासन द्वारा अभ्यर्थी का चयन अभ्यर्थी के पद के लिए कैंडिडेट को पोस्ट के लिए कोई निदेशात्मक अधिकार नहीं देता है।

18.4 यदि अभ्यर्थी के पते में बदलाव होता है तो अभ्यर्थी स्ंवय संबन्धित पोस्ट ऑफिस को अपने बदले पते के बारे में बताना सुनिश्चित करें ।

18.5 योग्यता , आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना, फ्री पास जारी करना, गलत जानकारी के लिए जुर्माना, चयन का तरीका, चुने गए उम्मीदवारों को पद का आवंटन, आदि से संबंधित सभी मामलों में रेल प्रशासन का निर्णय उम्मीदवारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में रेलवे प्रशासन द्वारा किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।.

18.6 रेल प्रशासन ई-मेल या एसएमएस की डिलीवरी में किसी भी देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। अभ्यर्थियों को अपना स्पैम ईमेल फ़ोल्डर भी चेक करना चाहिए और किसी भी नोटिस के लिए रेगुलर आरआरसी/सीआर की वेबसाइट पर जाना चाहिए।

18.7 नियुक्ति के अनुशंसित अभ्यर्थियों को चुने गए पद के लिए तय मानकों के अनुसार ज़रूरी मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा।

18.8 रेल प्रशासन के पास भर्ती के किसी भी चरण पर अनजाने में हुई गलती या चूक को सुधारने का अधिकार है और गलती से नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को रेल सेवा से तत्काल प्रभाव से हटाया जा सकता है।

19 <u>विविध</u>

19.1 यह अधिसूचना सभी अनुलग्नकों सहित आरआरसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

19.2 अतिरिक्त परीक्षा/दस्तावेज़ सत्यापन के सभी अधिकार आरआरसी के पास संरक्षित है । आरआरसी के पास इस रूज़गार सूचना में बताई गई किसी भी पद के लिए किसी भी चरण पर किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया के कुछ हिस्से या पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार भी है।

19.3 योग्यता, ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्वीकार या अस्वीकार करना, गलत जानकारी के लिए पेनल्टी, फ्री रेल पास जारी करना, सिलेक्शन का तरीका, लिखित परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केंद्रों का अलॉटमेंट, सिलेक्शन, चुने गए उम्मीदवारों को पद का अलॉटमेंट वगैरह से जुड़े सभी मामलों में आरआरसी का फैसला आखिरी होगा और उम्मीदवारों को मानना होगा और इस बारे में आरआरसी कोई पूछताछ या पत्राचार नहीं करेगा।

19.4 आरआरसी किसी भी अनजाने में हुई गलती के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा ।

19.5 **<u>नोटिफिकेशन के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों में किसी भी तरह का अंतर होने पर, अंग्रेजी संस्करण को ही मान्य माना जाएगा।</u>**

19.6 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बदलाव और जानकारी/परीक्षा के समय वगैरह को अद्यतन करने के लिए आरआरसी की वेबसाइट को नियमित रूप से देखें ।

20. <u>कानूनी मामले</u>

इस रोजगार सूचना से जुड़ा कोई भी कानूनी मामला सिर्फ़ केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण , मुंबई के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगा।

21.<u>आवश्यक सूचना</u>

रेल भर्ती प्रकोष्ठ , मध्य रेल ने अपनी तरफ से कार्रवाई के लिए कोई एजेंट या कोचिंग सेंटर नियुक्त नहीं किया है। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे लोगों/एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के झांसे में न आएं।

नियुक्ति पक्की करने के लिए रेलवे के अधिकारियों से किसी भी तरह की अपील करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एक गंभीर मामला है। आवेदकों से उम्मीद है कि वे इसे पूरी गंभीरता से लेंगे। आवेदकों द्वारा गलत जानकारी देकर या

अश्लील/आपत्तिजनक फोटो या सामग्री अपलोड करके प्रोसेस में हेरफेर करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन पर दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई के अलावा क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा।

अध्यक्ष
रेल भर्ती प्रकोष्ठ ,
मध्य रेल

डीए : **अनुलग्नक** 'क' 'ख' 'ग' 'घ' **तथा 'ङ'**

<u>अनुलग्नक</u> <u>'क'</u>

<u>सक्रियता का प्रमाणपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/शुश्री ____ जो राज्य/जिला/मंडल के सक्रिय सदस्य पिछले ____________________________ पाँच साल से हैं (इसमें वित्तीय वर्ष **2021-22** भी शामिल है), जो राज्य जिला संगठन के द्वारा पंजीकृत है ।

दिनांक :
कार्यालय कि मुहर :

हस्ताक्षर नाम : ग्रुप लीडर (एस तथा जी)	हस्ताक्षर नाम : डीओसी (एस तथा जी)	हस्ताक्षर नाम : डीसी (एस तथा जी)

<u>अनुलग्नक</u> <u>'ख'</u>

<u>अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए घोषणा</u>

यह घोषित किया जाता है कि मैं**, ...** मेरा धर्म , **.......................** है जो अल्पसंख्यक समुदाय है। इसलिए**,** मैं आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट चाहता हूं। यदि मैं उपयुक्त पाया जाता हूं**,** तो मैं दस्तावेजों के सत्यापन के समय गैरन्यायिक स्टांप - हलफनामा जमा करने का वचन देता हूं। "अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा" पेपर पर

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम**:**______________________________

दिनांक**:** ______________________________

स्थान: ____

<u>अनुलग्नक</u> 'ग'

<u>दिनांक 28/10/2009 के पत्र संख्या.ई(आरआरबी)/2009/25/21 के पैरा 3 के अनुसार लेटर हेड पर जारी किए जाने वाले आय प्रमाण पत्र का प्रारूप ।</u>

<u>आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों(ईबीसी) के लिए परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क में छूट हेतु वर्ष 2026-27 का आय प्रमाण पत्र</u>

1. उम्मीद्वार का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. उम्र :
4. आवासीय पता :
5. वार्षिक पारिवारिक आय :
   (आंकड़ो और शब्दों में)
6. जारी करने की तारीख :
7. हस्ताक्षर :

(जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम)

जारीकर्ता प्राधिकारी की मोहर

अनुलग्नक 'घ'

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

(भारत सरकार के अधीन पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* --पुत्र/पुत्री-------------------------------------ग्राम/नगर/*--------------- जिला/मंडल--* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश*-------------------------------- के निवासी हैं/हैं और वे निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति*------------------------- के रूप में मान्यता प्राप्त जाति/जनजाति से संबंधित हैं/हैं:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950_________________________

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950_________________________

संविधान (अनुसूचित जाति) केंद्र शासित प्रदेश आदेश, 1951*_____________

संविधान (अनुसूचित जनजाति) केंद्र शासित प्रदेश आदेश, 1951*__________________

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित।

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956------------------------------------
संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम), 1976 द्वारा संशोधित*

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962;

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962@

संविधान (पॉन्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968@

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978@

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति अध्यादेश 1989@

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002.

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002.

संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002.

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007.

%2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से पलायन कर चुके हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती ----------------------------------- के पिता/माता ---------------------------- ----------------- को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार

पर श्री/श्रीमती/कुमारी --- के ग्राम/नगर --------------------- निवासी को जारी किया गया है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश*--- के जिले/मंडल*------------------------------- में रहने वाले वे लोग जो उस जाति/जनजाति से संबंधित हैं जिसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश -- में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, -- द्वारा दिनांक---------------- को जारी किया गया ।

%3श्री/श्रीमती/कुमारी--------------------------------- और-------------------/या--------------------- उनका परिवार सामान्यतः राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के------------------------------- जिले/मंडल के--ग्राम/नगर ------------------------- में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर ....

****पदनाम........................**

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान----------------

दिनांक------------------

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं। @

कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।

% उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू नहीं होता है।

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करता/करती है" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

** जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) तहसीलदार से कम रैंक के राजस्व अधिकारी।

(iv) उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

नोट: तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा।

<u>अनुलग्नक 'ङ'</u>

<u>भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।</u>

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. सुपुत्र/सुपुत्री*श्री/श्रीमती...गांव/कस्बा* ....जिला/मंडल*....................राज्य/केंद्रशासितप्रदेश................के........................... समुदाय से संबंधित हैं जिसे भारत सरकार,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या......................दिनांकित........................के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है.

श्री/श्रीमती/कुमारी...और/या उसका/उसकी परिवार सामान्यतः... राज्य/केंद्र राज्य क्षेत्र के .... जिला/मंडल में निवास करतेहैं.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/09/93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है और जिसे भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13/09/2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013 स्था. (निवास) द्वारा संशोधित किया गया है.

दिनांक: ....

जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त
/कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी

कार्यालय मुहर

* कृपया जो शब्द लागू न हों, उन्हें हटा दें।

** प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का विवरण देना होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार की जाति को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

*** जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

नोट:

(ए) यहाँ प्रयुक्त शब्द 'सामान्य रूप से निवास करता है' का वही अर्थ होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में निर्धारित है।

(बी) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी सक्षम हैं–

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट (Sub-Divisional Magistrate) / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे न हों)।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii)राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो तथा उस क्षेत्र का उप-मंडलीय अधिकारी हो, जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से निवास करता हो।